दिनांक - 29.12.2025

माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण

पूर्वी क्षेत्र पीठ के समक्ष, (कोलकाता)

मूल आवेदन संख्या - 107/2025

(पूर्व मूल आवेदन संख्या 206/2025 मुख्य बेंच, नई दिल्ली) के मामले में:

मंटू सोनी.....**आवेदक**

बनाम

झारखंड राज्य एवं अन्य.....**प्रतिवादी**

माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण (कोलकाता) मूल आवेदन संख्या 107/2025 के मामले में माननीय न्यायाधिकरण के दिनांक 09.12.2025 के आदेश के आलोक में FINAL HEARING के लिए BRIEF WRITTEN SUBMISSIONS के संबंध में।

माननीय न्यायाधिकरण महोदय

सादर निवेदन है कि उपरोक्त संदर्भित मामले में आवेदक मंटू सोनी उर्फ शनि कांत,पिता श्री राजेश कुमार,ग्राम+पोस्ट बड़कागांव,जिला,हजारीबाग,(झारखंड) ने संविधान के अनुच्छेद 51 (A)(g) में निहित पर्यावरण संरक्षण के कर्तव्य एवं अधिकार के अंतर्गत इस याचिका को प्रस्तुत किया है। माननीय न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 09.12.2025 के पूर्व FINAL ARGUMENT प्रस्तुत किया गया था । माननीय न्यायाधिकरण के आदेशानुसार अंतिम सुनवाई की तिथि 08.01.2026 सुनिश्चित कर दी गई है। उक्त अंतिम सुनवाई के लिए आवेदक द्वारा निर्देशानुसार अपना संक्षिप्त लिखित WRITTEN SUBMISSIONS प्रस्तुत किया जा रहा है। यह लिखित तर्क इस मामले के सभी तथ्य, पर्यावरणीय एवं कानूनी आयामों को स्पष्ट करते हुए, संबंधित प्रावधानों, पूर्व विधिक निर्णयों तथा प्रमाणों के संक्षिप्त और प्रभावशाली आकलन पर आधारित है। आवेदन का पृष्ठभूमि और विधिक दायित्वों को ध्यान में रखते हुए, यह तर्क प्रस्तुत किया गया है जिससे माननीय न्यायाधिकरण के संज्ञान में विषय की समस्त महत्वपूर्ण बिंदु उचित रूप से आ सकें और न्यायपूर्ण निर्णय हो सके। अतः, कृपया इस दस्तावेज़ को अंतिम सुनवाई में संज्ञान में लेते हुए अनजाने में भूल की क्षमा के साथ उचित मान्यता प्रदान करने की कृपा करें।

1.प्रारंभिक तथ्य एवं पृष्ठभूमि- प्रतिवादियों द्वारा Forest Clearance (FC) दिनांक 17.09.2010 के स्टेज 2 के शर्त संख्या 09 एवं wild life protection act 1972 का निजी लाभ के लिए उल्लंघन Environmental Clearance (EC) के शर्तों में छूट/संशोधन के आधार पर माननीय सुप्रीम कोर्ट से आदेश प्राप्त किया था तथा प्रतिवादियों द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी अवमानना किया गया है। जबकि आवेदक इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि Forest Clearance (वन संरक्षण अधिनियम 1980) और Environmental Clearance (पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986) दो स्वतंत्र कानून हैं।जिसका उद्देश्य भी अलग अलग है।जिनके पालन के लिए अलग-अलग मानक बनाए गए हैं। इसके बावजूद FC उल्लंघन के कारण मानव जीवन,वन्य जीव संघर्ष,कृषि,फ़सल एवं मकान आदि के नुकसान के अलावे सड़क दुर्घटना में आमलोगों की मौत हो रही है और पारिस्थितिकी (इकोसिस्टम) संतुलन बिगड़ रहा है। (**विस्तृत विवरण आवेदक के मूल आवेदन एवं प्रतिउत्तर के कंडिका 2 से 4 में वर्णित है।**

2.वन संरक्षण अधिनियम 1980 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत दी गई फॉरेस्ट क्लियरेंस (FC) और पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) के बीच कानूनी, विधिक और उद्देश्यगत अंतर वन संरक्षण अधिनियम (FC) 1980 के तहत वन स्वीकृति (FC) का संक्षेप में निष्कर्ष - FC वन भूमि और वन्य जीव परिवास के दीर्घकालिक संरक्षण हेतु कड़ा नियंत्रण निर्धारित करता है।वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की शर्तें FC के अंतर्गत वन्य जीवों के आवागमन की रक्षा हेतु अनिवार्य हैं। **EC व्यापक रूप से पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करता है, लेकिन FC की शर्तों का प्रतिस्थापन नहीं करता। दोनों अधिनियम पर्यावरण संरक्षण के समग्र उद्देश्य के पूरक हैं, किन्तु अपने-अपने कानूनी दायरे और अनुपालन मानकों के साथ है । इस प्रकार, FC में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का महत्व अत्यंत आवश्यक है, जिसका अनुपालन परियोजना की कानूनी वैधता और सामाजिक-परिवेशीय संतुलन के लिए अनिवार्य है**, वहीं EC इसकी पर्यावरणीय सीमा में सहयोगी भूमिका निभाती है। FC वन भूमि विशेष, वन्यजीव-विशेष (Wildlife Protection Act 1972 सम्मिलित है। EC समग्र पर्यावरण **EC संशोधन FC शर्तों को ओवरराइड नहीं करते** हैं। FC वन एवं वन्यजीव-केंद्रित संरक्षणीय कानून है । वहीं EC प्रदूषण-प्रबंधकीय कानून है। दोनों पूरक, किंतु परस्पर प्रतिस्थापनीय नहीं है । **प्रतिवादी 04 NTPC के मामले में EC संशोधन कर दुरुपयोग FC शर्त का उल्लंघन सिद्ध करता है। क्योंकि वन संरक्षण अधिनियम 1980 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत दी गई फॉरेस्ट क्लियरेंस (FC) और पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) दो अलग-अलग अनिवार्य शर्तों के तहत अलग अलग परियोजनों के लिए दी गई अनुमतियां हैं। जिनका अनुपालन पृथक रूप से आवश्यक है। EC के शर्तों में संशोधन लेकर EC के उल्लंघन के साथ-साथ FC के शर्तों का भी स्पष्ट रूप से दुरुपयोग निजी लाभ के लिए निर्मतता से किया जा रहा है।**

3.प्रतिवादी 03.04, एवं 06 द्वारा FC मंजूरी स्टेज 2 के अनिवार्य शर्त 09 के उल्लंघन का बचाव माननीय न्यायाधिकरण को भ्रमित कर EC के शर्त में संशोधन से किया गया जो FC शर्त में मान्य नहीं है - प्रतिवादी 04 को मिले वन मंजूरी (FC) स्टेज 2 मंजूरी के अनिवार्य शर्त संख्या 09 **(आवेदक के प्रतिउत्तर के कंडिका 14 में वर्णित एवं अनुलग्नक 02 A संलग्न)** के बचाव में प्रतिवादी 03 एवं 06 की ओर से माननीय न्यायाधिकरण में दायर हलफनामा के **कंडिका 13 एवं 14 अनुलग्नक 02 एवं प्रतिवादी संख्या 04 के हलफनामा के कंडिका H** अनुलग्नक 03 में वन मंजूरी (FC) शर्त संख्या 09 के उल्लंघन का बचाव प्रतिवादी 04 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) के Specific Condition No.- 2A (ix) में संशोधन से किया जा रहा है । जबकि EC शर्त के कंडिका 5 में शर्त को माननीय न्यायाधिकरण से छुपा लिया गया है । जिसमें उक्त शर्त को सिर्फ जल प्रदूषण एवं हवा प्रदूषण में लागू होने का जिक्र किया गया है और FC शर्त 09 में लागू होने जिक्र नहीं किया गया है । **(आवेदक के प्रतिउत्तर के कंडिका 15 एवं अनुलग्नक 02 B में संलग्न)** जिससे प्रमाणित होता है कि प्रतिवादियों ने अपने बचाव में गलत तथ्य प्रस्तुत कर माननीय न्यायाधिकरण को गुमराह करने का प्रयास किया गया है।

4.प्रतिवादियों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) शर्त में संशोधन का दुरुपयोग कर पूरे रास्ते सड़क मार्ग से कोयला परिवहन करना :- प्रतिवादियों द्वारा FC शर्त 09 के उल्लंघन के बचाव में EC शर्त संशोधन का हवाला दिया जाता है,वही प्रतिवादी 03 एवं 06 द्वारा दायर हलफनामा के कंडिका 13 में वर्णित एवं अनुलग्नक 2 के बिंदु 6 में और प्रतिवादी 04 द्वारा दायर हलफनामे के कंडिका G और H अनुलग्नक 3 बिंदु 6 में electrification and signalling work,"Integrated commissioning" और additional conveyor Strems are required for which the action के कारण बताते हुए शर्त में संशोधन लिया गया है । लेकिन प्रतिवादी 04 द्वारा खनन स्थल से रेलवे साइडिंग तक सड़क मार्ग से कोयला परिवहन किया जा रहा है । जो EC शर्त संशोधन का भी दुरुपयोग और प्रतिवादियों द्वारा माननीय न्यायाधिकरण को गुमराह किया जाना प्रमाणित करता है। जिसका विवरण आवेदक के प्रतिउत्तर के कंडिका 22 D में वर्णित है।

5.प्रतिवादी 02 एवं 03 द्वारा FC मंजूरी स्टेज 2 के अनिवार्य शर्त 09 के उल्लंघन की पुष्टि,जिसे प्रतिवादियों द्वारा माननीय न्यायाधिकरण से छुपाया गया - प्रतिवादी 04 को Forest Clearance (FC) स्टेज 2 के आदेश F.No. 8-56/2009-FC की शर्त संख्या 9 उल्लंघन एवं प्रतिवादी 03 के संयुक्त जांच कमिटी ने FC शर्त 09 के उल्लंघन मानव -वन्य जीवों का नुकसान सहित अन्य नुकसान का पुष्टि किया जा चुका है। । यह तथ्य सभी प्रतिवादियों ने जानबूझकर माननीय न्यायाधिकरण से अपने हलफनामा में छुपाया तथा माननीय न्यायालय को गुमराह करते हुए निजी लाभ के लिए तथ्यों/साक्ष्यों को छुपाया । **(आवेदक के प्रतिउत्तर के कंडिका 8 एवं 9 तथा अनुलग्नक 01 C एवं 01 D मे संलग्न)**

6. FC शर्त 09 के उल्लंघन पर प्रतिवादी 03 एवं 04 ने विभिन्न स्तर पर अलग- अलग जवाब दिया और माननीय न्यायाधिकरण से प्रतिवादी 03 ने जानबूझकर महत्वपूर्ण अभिलेखों/तथ्यों को जानबूझकर छुपाया - यह कि FC शर्त उल्लंघन के मामले में माननीय झारखंड विधानसभा में प्रतिवादी 03 ने प्रतिवादी 04 से पूछकर जो जवाब दिया था उसमें EC द्वारा 2020 में जारी एक तत्कालिक नोटिफिकेशन को बताया गया था । वहीं सूचनाधिकार अधिनियम 2005 के तहत उपलब्ध सूचना संख्या 03 में सड़क मार्ग से कोयला परिवहन करने/नहीं करने का कोई अभिलेख नहीं होना बताया गया था। (आवेदक के प्रतिउत्तर के कंडिका 6 से 7 एवं अनुलग्नक - 01 से 01 B) **ऐसे में महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जब प्रतिवादी 03 के पास FC शर्त के संबंध में कोई अभिलेख नहीं था तो माननीय न्यायाधिकरण में उनके द्वारा FC शर्त के उल्लंघन के बचाव में जो तथ्य पेश किया गया वह कहां से और किस माध्यम से प्राप्त हुआ ?** जबकि प्रतिवादी 03 से भारत सरकार और राज्य सरकार FC शर्त 09 उल्लंघन मामले में कई पत्राचार किया है जिसका विवरण आवेदक के मूल आवेदन के (ANNEXURE 3 एवं प्रतिउत्तर के कंडिका 7 में वर्णित) **इस प्रकार यह प्रमाणित होता है कि प्रतिवादी 03,04 एवं 06 ने निजी लाभ के लिए FC शर्त उल्लंघन पर विभिन्न स्तर पर अलग- अलग तर्क/तथ्य पेश करते आ रहे हैं और भारत सरकार,राज्य सरकार द्वारा FC शर्त के उल्लंघन से संबंधित पत्रों का जवाब भी नहीं दे रहे हैं। ।** जो परिवादियों की भूमिका और सांठगांठ को प्रमाणित करता है। उसके बावजूद माननीय न्यायाधिकरण में प्रतिवादी संख्या 03 एवं 06 के हलफनामा के कंडिका संख्या 18 और 20 में कहा है कि,न्यायहित और विभाग में प्राप्त आधिकारिक अभिलेखों के अनुसार हलफनामा दायर किया जा रहा है लेकिन उपरोक्त तथ्यों/साक्ष्यों एवं अभिलेखों को माननीय न्यायाधिकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया । जो न्याय को प्रभावित और माननीय न्यायालय में झूठा हलफनामा दायर कर गुमराह करने को प्रमाणित करता है।

7.प्रतिवादी 04 के द्वारा सड़क मार्ग से कोयला परिवहन के दौरान ग्रामीणों की मौत पर माननीय न्यायाधिकरण को झूठा हलफनामा दायर किया गया और बिना विभागीय/विशेषज्ञ आधार के सड़क मार्ग से कोयला ट्रांसपोर्टेशन का हवाला दिया और प्रतिवादी 03 एवं 06 द्वारा जवाब नहीं दिया गया गया । जिसका **विवरण आवेदक के प्रतिउत्तर के कंडिका 22(E)(F) एवं अनुलग्नक 5 में संलग्न है।**

8.परियोजना क्षेत्र अंतर्गत पश्चिमी वन प्रमंडल में वन्यजीवों (अनुसूची एक से चार तक दर्जनों वन्यजीवों) का परिवास,वन्यजीव प्रबंधन की स्थिति,मानव-वन्यजीव संघर्ष से जानमाल का नुकसान,मुआवजा वितरण का विवरण (प्रतिउत्तर के कंडिका 23 से 23 B,अनुलग्नक 6 एवं 7 में संलग्न) माननीय न्यायाधिकरण में प्रतिवादी 03.04 एवं 06 द्वारा वर्ष 2016 में खनन चालू करने एवं वन्य जीव प्रबंधन योजना के लिए CAMPA योजना के तहत राशि वर्ष 2023 में जमा किया गया । जिसे वन्य/मानव जीवों के नुकसान को छुपाने के लिए अधूरा और न्याय को प्रभावित करने के लिए माननीय न्यायाधिकरण में भ्रामक जवाब दिया गया । (आवेदक के प्रतिउत्तर के कंडिका 22 C में वर्णित) इसके अलावे **महत्वपूर्ण विषय क्षेत्र में कई खनन परियोजना संचालित होने एवं प्रतिवादी 04 सहित अन्य परियोजनाओं द्वारा वन्य जीव प्रबंधन की स्थिति का विवरण** (प्रतिउत्तर के कंडिका 24 अनुलग्नक 08 में वर्णित)

9. प्रतिवादी 03 एवं 04 एनटीपीसी द्वारा वर्ष 2010 में मिले FOREST CLEARANCE (FC) शर्त 08 के शर्तों को अब तक पूरा नहीं करने एवं उसका उल्लंघन कर परियोजना क्षेत्र अंतर्गत महत्वपूर्ण जलस्रोत दुमुहानी नाला (नदी) जिसकी औसत चौड़ाई 20 से 30 मीटर थी । जिसमें नदी के दोनों किनारे पर 50 मीटर ग्रीन बेल्ट विकसित करना था । लेकिन नाला सहित 156 हेक्टेयर एरिया में खनन कर नाला की चौड़ाई मात्र 4 से 5 मीटर करने, प्रतिवादी 03 एवं 04 द्वारा आपसी सांठगांठ से सरकार को फर्जी एवं तथ्यों को तोड़मरोड़ कर रिपोर्ट बनाकर भेजने एवं आवेदक को प्रभावित कर समझौता कराने के प्रयास के मामले में **अपराध अनुसंधान विभाग (CID) झारखंड का रिपोर्ट** (प्रतिउत्तर के कंडिका 27 अनुलग्नक 11) एवं पकवा नाला एवं खोर्रा नाला के दोनों ओर 50 मीटर ग्रीन बेल्ट अब तक नहीं बनाने का विवरण **प्रतिउत्तर के कंडिका 25 अनुलग्नक 09** और **ENVIRONMENT CLEARANCE** के महत्वपूर्ण शर्तों को अनुपालन नहीं करने एवं उसका उल्लंघन करने का विवरण प्रतिउत्तर के कंडिका 26 एवं अनुलग्नक 10 के रूप में संलग्न है ।

10.प्रतिवादी 04 द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट का अवमानना कर सड़क मार्ग से कोयला परिवहन करना - यह कि परिवादी 04 द्वारा माननीय NGT (EZ) कोलकाता के 0A no 61/2019/EZ (त्रिपुरारी सिंह बनाम रेलवे मंत्रालय) दिनांक 06.01.2021 आदेश के विरुद्ध माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील संख्या C.A No - 6249/2021 दायर किया गया । जिसमें EC शर्त संशोधन के नाम पर दिनांक 08.08.2022 में कन्वेयर बेल्ट का निर्माण अक्टूबर 2023 तक या उससे पहले पूरा कर लिए जाने का आदेश प्राप्त हुआ। (प्रतिउत्तर के कंडिका 17 एवं अनुलग्नक 03) उपरोक्त आदेश के आलोक में कन्वेयर सिस्टम नवंबर 2022 में ही बन चुका था । जिसकी पुष्टि सूचनाधिकार आवेदन से दिनांक 02.11.2022 को प्राप्त सूचना संख्या 1 (प्रतिउत्तर के अनुलग्नक 01 B एवं 01 C) में संलग्न सूचना से होती है। परन्तु प्रतिवादी 04 के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करते हुए एवं FC शर्त 09 को छुपाते हुए (प्रतिउत्तर के कंडिका 21 में वर्णित) पुनः Miscellaneous Application No. 1824/2023 in C.A. No. 6249/2021 दाखिल कर दिनांक 31.12.2024 तक अन्य कारण बताते हुए आदेश ले लिया गया (प्रतिउत्तर अनुलग्नक 03 A) और सड़क मार्ग और कन्वेयर सिस्टम दोनों से कोयला परिवहन करते रहा। उक्त समय सीमा पूर्ण होने के बाद **प्रतिवादी 04 द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट से किसी प्रकार की अनुमति लिए वगैर EC शर्त में 10 वीं संशोधन लेकर FC शर्त 09 का उल्लंघन कर सड़क मार्ग से कोयला परिवहन किया जा रहा है ।** (प्रतिउत्तर के कंडिका 20 में वर्णित)

11. प्रतिवादी 04 पर वन भूमि में पेड़ काटकर सड़क मार्ग से कोयल परिवहन करने के मामले में प्रतिवादियों ने माननीय न्यायाधिकरण में जवाब नहीं दिया - आवेदक के शिकायत के बाद वर्ष 2020 में प्रतिवादी 04 पर भारतीय वन अधिनियम 1927 बिहार संशोधन 1989 की धारा 33 का उल्लंघन के तहत दायर अनेक वनवाद पर प्रतिवादी 03 द्वारा अब तक कार्रवाई नहीं किए जाने का जवाब प्रतिवादियों ने माननीय न्यायाधिकरण को नहीं दिया एवं अन्य वनवाद का विवरण प्रतिउत्तर कंडिका 22 में वर्णित । जो प्रतिवादियों के आपस में सांठगांठ और मिलीभगत को प्रमाणित करता है।

12. प्रतिवादी 04 द्वारा सड़क मार्ग से कोयला परिवहन के दौरान विभागीय जांच में गड़बड़ी जिसका जवाब प्रतिवादियों ने नहीं दिया और प्रतिवादियों का आपस में सांठगांठ का कारण - यह कि प्रतिवादी 04 के द्वारा सड़क मार्ग से कोयला परिवहन के दौरान भारी ग़ड़बड़ी की पुष्टि जांच में हो चुकी है। जिसमें जिला खनन विभाग ने स्कूटर,टेंपू आदि वाहनों के नंबर से गड़बड़ी पकड़ी एवं FIR दर्ज करने के लिए थाना में आवेदन दिया एवं प्रतिवादी 03 द्वारा औचक निरीक्षण में करीब 18 किलोमीटर की दूरी के लिए ट्रांजिट परमिट 24 से 30 घंटे के लिए जारी करना जो प्रतिउत्तर के कंडिका 22 से 22 B तक में वर्णित है। इस लिए **सड़क मार्ग से कोयला परिवहन में भारी गड़बड़ी एवं उससे नाजायज लाभ के कारण प्रतिवादियों के बीच आपसी सांठगांठ है।**

13.प्रतिवादियों द्वारा संवैधानिक नियमों एवं माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन एवं निजी लाभ के लिए अनुपालन नहीं करना - प्रतिवादियों ने अनुच्छेद 48(a) 51(a)(g) एवं अनुच्छेद 21 का घोर उल्लंघन,माननीय सुप्रीम कोर्ट के **Animal Welfare Board vs. A. Nagaraja (2014),सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य** एवं अन्य, 9 जनवरी, 1991 के आदेश का अनुपालन का उल्लंघन,**T.N. Godavarman Thirumulpad vs. Union of India case (Writ Petition (C) No. 202 of 1995),MC Mehta vs. Union of India (1987),** Lalita Kumari vs. State of UP (2014) के आदेश का उल्लंघन एवं अनुपालन जानबूझकर निजी लाभ के लिए नहीं किया।

14. माननीय न्यायाधिकरण से प्रतिवादी 03.04.05 एवं 06 पर कार्रवाई के लिए अनुरोध/प्रार्थना – प्रार्थी की ओर से प्रार्थना है कि वाद में वर्णित BRIEF WRITTEN SUBMISSIONS के पक्षों/तथ्यों के आलोक में प्रतिवादी पक्षों द्वारा हलफनामे में प्रस्तुत किए गए भ्रामक/झूठे तथ्य प्रस्तुति के संदर्भ में आवश्यक कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों एवं माननीय न्यायालयों के विचारों /आदेशों के प्रकाश में निम्नानुसार कार्रवाई करने का आग्रह किया जाता है ।

1. सुप्रीम कोर्ट का आदेश (SUO-MOTU CONTEMPT PETITION (CIVIL) NO.3 OF 2021 dated 11.07.2022),माननीय सुप्रीम कोर्ट ABCD बनाम भारत संघ (Union of India) 2019 माननीय सुप्रीम कोर्ट धनंजय शर्मा बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य, 2 मई, 1995 आदि मामलों के आदेशों/विचारों के आलोक में अपराधिक अवमानना की कार्रवाई किया जाए।
2. प्रतिवादियों पर न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 229 (न्यायालय की अवमानना) और धारा 236 (न्यायालय की अवमानना की दंडात्मक प्रावधान) के उल्लंघन एवं CRPC 340 एवं IPC 195 के तहत कार्रवाई की कृपा की जाए।
3. वन संरक्षण अधिनियम 1980 के मामले में भारत सरकार,कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या - F No 228/58-2023-AVD III के आलोक में सीबीआई से जांच और PC ACT 1988 के तहत कार्रवाई कराया जाए।
4. प्रतिवादी 04 का MoEF & Cc से प्राप्त (FC) एवं (EC) स्वीकृति/मंजूरी रद्द किया जाए।
5. वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई एवं उसका अनुपालन करवाया जाए।
6. प्रतिवादी 04 को तत्काल सड़क मार्ग से कोयला परिवहन बंद करवाया जाए।
7. प्रतिवादी 04 पर BIO DIVERSITY Act 2002 के उल्लंघन के तहत कार्रवाई किया जाए

अतः, माननीय न्यायालय से विनम्र निवेदन है कि प्रतिवादी 04 जो भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के अधीन सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है। जिनसे **कानूनों,आदेशों एवं नियमों के अनुपालन के बेहतर अनुपालन की अपेक्षा होनी चाहिए लेकिन इसके अधिकारियों ने भारत सरकार की कंपनी के नाम का सहारा लेकर निजी लाभ के लिए प्रतिवादी 03,05,06 से मिलकर संवैधानिक नियमों के अधीन लगाए गए शर्तों एवं न्यायालय द्वारा समय समय पर दिए गए सुझाव/निर्देश का निर्मतता से उल्लंघन कर न्यायालयों का अवमानना किया जाता रहा है।** उपर्युक्त सभी बिंदुओं के आधार पर आवश्यक निर्देश जारी करते हुए, घटना की गहन जांच कर न्यायोचित कार्रवाई सुनिश्चित करने की कृपा की जाए । माननीय न्यायालय से उपयुक्त आदेश की प्रार्थना है ।

आपका विश्वासी

आवेदक, NGT (EZ) OA No 107/2025

मन्टू सोनी उर्फ शनिकान्त
29/12/2025

मंटू सोनी उर्फ शनि कांत,
पिता - श्री राजेश कुमार
बड़कागांव, जिला-हजारीबाग(झारखंड)
पिन कोड - 825311
मो० - 9504268699,
ईमेल- shanikant699@gmail.com